संख्या:-14/2025/I/1092930/38-4099(99)/129/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

विषय:- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-846/ग्रा0आ0अनु0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2025-26, दिनांक-04.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित पति की मृत्यूपरान्त निराश्रित महिलाओं की पात्रता आयु की गणना 01 अप्रैल से करने, शासनादेश दिनांक 02-02-2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.3 में सपेरा (सपेरिया)-विमुक्त जाति, जोगी (अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं चेरो (अनुसूचित जाति) को जोड़ने तथा उप प्रस्तर-3.6 में मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु निर्धारित बर्हिवेशन के मानदंडों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वत: बर्हिवेशन (AUTO EXCLUSION) के संशोधित मानदंडों के अनुसार संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)2017, दिनांक-02.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)2017, दिनांक-04.02.2019, सपठित शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-18.03.2021, सपठित शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-2021-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-25.06.2021, सपठित शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017, दिनांक-27.12.2021, सपठित शासनादेश संख्या-16/2022/225/38-4-22-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-20.09.2022, सपठित शासनादेश संख्या-11/2023/114/38-4-23-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-11.04.2023,सपठितशासनादेशसंख्या-31/2023/I/429039/38-4099(99)/129/2023, दिनांक 17.11.2023,सपठित शासनादेशसंख्या-05/2024/I/502348/38-4099(99)/129/2023, दिनांक 22.02.2024 सपठित शासनादेश संख्या-09/2024/I/735262/38-4099(99)/29/2024, दिनांक-06.09.2024, सपठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-13/2024/I/747366/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-20.09.2024 एवं शासनादेश संख्या-09/2025/I/1000645/38-4099(99)/129/2023, दिनांक 20.06.2025 द्वारा कतिपय वर्ग/समुदाय/जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है।

3- उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-05/2024/I/502348/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-22.02.2024 व शासनादेश संख्या-09/2025/I/1000645/38-4099(99)/129/2023, दिनांक 20.06.2025 द्वारा पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित की गयी पति की मृत्यूपरान्त निराश्रित महिला हेतु निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा(18-50 वर्ष) की गणना उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् 01 अप्रैल से की जायेगी, जिस वित्तीय वर्ष में आवास आवंटित किया जाना है।

-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 द्वारा निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.3 में सपेरा (सपेरिया)-विमुक्त जाति, जोगी (अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं चेरो (अनुसूचित जाति) को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.6 में निर्धारित स्वत: बर्हिवेशन के मानदंडों को निम्नानुसारसंशोधित किया जाता है:-

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु स्वत: बर्हिवेशन के वर्तमान मानदंड:-	**मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु स्वत: बर्हिवेशन के संशोधित मानदंड:-**
(i) मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव। (ii) मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण। (iii) 50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। (iv) वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। (V) सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार। (vi) वे परिवार, जिनका कोई सदस्य	(i) मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन। (ii) मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण। (iii) 50,000 रू. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। (iv) वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। (V) सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार। (vi) वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000 रु. से अधिक प्रति माह कमा रहा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10,000 रु. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो। (vii) आयकर देने वाले परिवार। (viii) व्यवसाय कर देने वाले परिवार। (ix) वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो। (x) वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो। (xi) वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो। (xii) दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि। (xiii) वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।	हो। (vii) आयकर देने वाले परिवार। (viii) व्यवसाय कर देने वाले परिवार। (ix) वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो (x) वे परिवार, जिनके पास 5 एकड या इससे अधिक असिंचित भूमि हो

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या- 14/2025/ I/1092930(1), तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(10) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(12) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।

(13) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।

(14) समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद सिंह,

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।